

 GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
REVENUE DEPARTMENT

Certificate Ref. No: LC/2023-24/178432

Date: 15-03-2024

FORM-B

[See Rule 9(3),(4) and (6)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, NEEM KA THANA (NEEM KA THANA)**  
**CONVERSION ORDER**

On the application of **SHRI KRISHNA SHIKSHA SAMITI KANWAT JARIYE SECRETARY GULJHARI LAL S/O LAXMAN RAM** of village PRITAM PURI Tehsil NEEMKATHANA, agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Name of Applicant Khatedar/Tenants:	Father's/ Husabnd's Name:	Social Category (SC/ST/GEN/OBC/etc..)	Complete Address
1	SHRI KRISHNA SHIKSHA SAMITI KANWAT JARIYE SECRETARY GULJHARI LAL	LAXMAN RAM	OBC	WARD NO 06 SHIV JI KE MANDIR KE PASS, JERTHI, SUBHASH NAGAR, SIKAR RAJ

1. Details of the Land converted:

- (a) Name of the village/Gram Panchayat/Tehsil: PRITAM PURI/PRITAM PURI/NEEMKATHANA
- (b) Khasra No. of the land: 5212/34
- (c) Area of each Khasra No. (in square meter): 800
- (d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): 800
- (e) Area converted (in sq. meter): 800

2. Purpose of Conversion: INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES

3. Conversion type (Sub Category): INSTITUTIONAL PURPOSE

4. Rate of conversion charges payable (₹): 36.24/-

5. Premium deposited (₹): 28992/-

- (a) Advance Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: 1500/-, 29/02/2024, 24593290016
- (b) Remaining Amount of premium deposited (₹) with date and no. of challan: 27492/-, 15/03/2024,  
24595769328

6. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: 0/-



7. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: 0/-

8. Whether the order issued under Rule 13 for regularization: NO



Signature valid

Digitally Signed by Rajveer Singh Yadav  
Designation : SUB DIVISIONAL OFFICER  
NEEM KA THANA  
Date: 2024.03.15 10:58:49 IST  
Reason: Approved  
Location: NEEM KA THANA



P-35 क्रमांक  $\frac{4688}{16/01/24}$

— ग्रामपाली १  
दिनश जाट १०/०१/२४

पक्षारी पीघमुखी  
प. ह. - पीघमुखी  
रह. नीमकाधार (सीकर)

पीघमुखी  
तदनीति-वीमकाधार (तोली)  
नीमकाधार

प्ररूप -घ  
[दिखिए नियम 10(4)]

क्रमांक ४९०

दिनांक 26-6-15

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

सचिव श्री कृष्ण शिक्षा समिति कांवट पंस. खण्डेला (सीकर) जरिये सचिव श्री गुलजारीलाल पुत्र श्री लिछमणराम निवासी ग्राम जेरठी जिला सीकर के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता : सचिव श्री कृष्ण शिक्षा समिति कांवट पंस. खण्डेला (सीकर) जरिये सचिव श्री गुलजारीलाल पुत्र श्री लिछमणराम निवासी जेरठी जिला सीकर।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : नहीं
3. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन : संस्थानिक प्रयोजनार्थ।
4. संपरिवर्तन गूणि का ब्यौरा :
  - (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम : पीथमपुरी तह0 नीमकाथाना।
  - (ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : ख0न0 31/2 रकबा 0.20 है0 2000वर्ग मीटर।
  - (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में) : ख0न0 31/2 रकबा 0.20 है0 (2000वर्ग मीटर) में से 0.16 है0 (1600 वर्ग मीटर)।  
(टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है?)
5. पूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर : 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर
6. गूल आवेदन के साथ जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या और तारीख सहित : 5000.00 रु. चा.सं. 49 व 50 दिनांक 9.5.2005

  
उप राजस्व अधिकारी  
नीम ५ (सीकर).

- मुक्तिप्राप्त संपरिवर्तन पर सदेय संपरिवर्तन की दर : विक्रय पत्र की निष्पादन राशि का 10 प्रतिशत  
मूल में ७०% आवासीय शुल्क की अन्तर राशि ।
8. बालान की संख्या और तारीख सहित, संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर की जमा करायी गयी रकम :  
बालान नम्बर 141 दिनांक 25.06.2015 राशि 1,39,893 रु०
  9. बालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : नहीं
  10. बालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम नहीं
  11. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हों : नहीं
  12. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्ययन होगा :

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से ५ वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी ।
- (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

पृष्ठ ५११-१३

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जिला कलकटर महोदय, सीकर।
2. सरपंच-ग्राम पंचायत पीथमपुरी नीमकाथाना।
3. आवेदक श्री सचिव श्री कृष्ण शिक्षा समिति कांवट पंस. खण्डेला (रीकर) जरिये सचिव श्री गुलजारीलाल पुत्र श्री लिचमणराम निवासी जेरठी जिला सीकर।

  
उपर्युक्त अधिकारी  
नीम का नीमकाथाना

दिनांक 26.6.15

  
उपर्युक्त अधिकारी  
नीम का नीमकाथाना (सीकर)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)

प्ररूप -घ  
[दिखिए नियम 10(4)]

क्रमांक ५९०

दिनांक 26.6.15

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

सचिव श्री कृष्णा शिक्षा समिति कांवट पंस. खण्डेला (सीकर) जरिये सचिव श्री गुलजारीलाल पुत्र श्री लिघमणराम निवासी ग्राम जेरठी जिला सीकर के आवेदन पर पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं:-

13. आवेदक का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पता : सचिव श्री कृष्णा शिक्षा समिति कांवट पंस. खण्डेला (सीकर) जरिये सचिव श्री गुलजारीलाल पुत्र श्री लिघमणराम निवासी जेरठी जिला सीकर।
14. क्या आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य है : नहीं
15. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन : संस्थानिक प्रयोजनार्थ।
16. संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा :
  - (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम : पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना।
  - (ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : ख0.00 31/4 रकबा 0.20 है 0 2000वर्ग मीटर।
  - (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में) : ख0.00 31/4 रकबा 0.20 है 0 (2000वर्ग मीटर) में से 0.17 है 0 (1/00 वर्ग मीटर)।  
(टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नवशे के सुरक्षाता भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है?)
17. मूल संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर : 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर
18. मूल आवेदन के साथ जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम, चालान की संख्या और तारीख सहित : 1000.00 रु. चा.सं. 51 व 52 दिनांक 9.5.2005

उपर दी गई जारी  
भौम का (सीकर),

19. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय संपरिवर्तन की दर : विक्रूय पत्र की निष्पादन राशि का 10 प्रतिशत  
पूर्व में उमा आवासीय शुल्क की अन्तर राशि ।
20. बालान की संख्या और तारीख सहित, संपरिवर्तन प्रभारों के अन्तर की जमा करायी गयी रकम :
- बालान नम्बर 142 दिनांक 25.06.2015 राशि 1,48,600 रु0
21. बालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम : नहीं
22. बालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम नहीं
23. अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हों : नहीं
24. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यीन होगा :

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि समप्रहृत हो जायेगी ।
- (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

*संचयपाण्डि अधिकारी*  
*नीमकाथाना*  
दिनांक 26.6.15

क्रांति ५९५-११

मार्गलिपि:

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सीकर ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत पीथमपुरी नीमकाथाना ।
3. आवेदक श्री सचिव श्री कृष्णा शिक्षा समिति कावट पंस. खण्डेला (सीकर) जारिये सचिव श्री गुलझारीलाल पुत्र श्री लिछमणराम निवासी जेरठी जिला सीकर ।

*संचयपाण्डि अधिकारी*  
*नीमकाथाना*